HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1414/2026
CNR: RJHC020622312026 | URN: SOSA / 2558U / 2026

Adil Son Of Ashfaq, Resident Of Prem Nagar First Road, Police Station Udyog Nagar, Kota (Accused Appellant Presently Confined In Kota Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sunil Tyagi, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/08/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. अभियुक्त का प्रथम सजा स्थगन आवेदन दिनांक 12.05.2026 को अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, आपराधिक रिकॉर्ड व अपराध की प्रकृति आदि को देखते हुए विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रथम सजा स्थगन आवेदन के समय अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में संस्थित 13 आपराधिक प्रकरणों में से 6 प्रकरण निर्णीत होना बताया था, लेकिन अब उनमें से 11 प्रकरण निर्णीत हो चुके हैं और तीन प्रकरणों में दोषसिद्धी रही है तथा अन्य शेष में दोषमुक्त हो चुका है, अतः बदली हुई परिस्थितियों में सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

6. चूंकि अभियुक्त का प्रथम सजा स्थगन आवेदन दिनांक 12.05.2026 को सभी तर्कों को विचार में लेने के पश्चात खारिज हुआ है, उसके बाद परिस्थितियों में ऐसा सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके आधार पर पुनः अभियुक्त की सजा स्थगित किये जाने पर विचार किया जा सके।

7. अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह द्वितीय सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः यह द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

8. अभियुक्त को यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित पीठ के समक्ष अपील को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन करें। छः माह में अपील का निस्तारण नहीं होता है तो अभियुक्त नवीन सजा स्थगन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

8/Mittal